

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2014

विषय:- वर्ष- 2014 के कामनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष- 2014 के कामनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप निम्नानुसार धनराशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

एकल खेल			टीम खेल (प्रति खिलाड़ी)		
स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
रु0 50.00 लाख	रु0 30.00 लाख	रु0 15.00 लाख	रु0 30.00 लाख	रु0 15.00 लाख	रु0 10.00 लाख

- 2- इसके अतिरिक्त उक्त प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी को एक प्रशस्ति-पत्र व मेडल दिया जायेगा।
- 3- पूर्ववर्ती प्रस्तर- 1 के अनुसार अनुमन्य पुरस्कार देने के लिए उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी उस व्यक्ति को माना जायेगा :-
 - (1)- जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) है।
 - (2)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा स्पोर्ट्स हास्टल का कम से कम दो वर्ष तक छात्र रहा/रह चुका हों।
 - (3)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका हों।

अथवा

जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संघ/स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा नामित होकर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हों।

- 4- किसी भी खिलाड़ी को उसके द्वारा एक से अधिक पदक प्राप्त करने की दशा में सबसे बड़े केवल एक पदक के अनुरूप उक्त पुरस्कार अनुमन्य होगा।

5- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनेत्तर-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार-20-सहायता अनुदान/अंशदान/राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।

6- यहा आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई- 5-985/दस-2014, दिनांक : 22 अगस्त, 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 2131(1)/बयालिस-2014-तद्विनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
- 3- गोपन अनुभाग- 1
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।